

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०
19-ए, विशाल कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उ०प्र०।

पत्रांक-एस०पी०एम०यू०/एन.आर.एच.एम./जेनरेटर/2012-13/3774-75

दिनांक 29-3-13

विषय-जेनरेट क्रय के संबंध में।


महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि दिनांक 29-3-2013 को मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० एवं संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार की दूरभाष पर हुई वार्ता के क्रम में मिशन निदेशक महोदय के निर्देशानुसार जनपद एवं सी०एच०सी० स्तर पर कोल्ड चेन हेतु जेनरेटर्स का क्रय निर्धारित 'डी०जी०एस० एण्ड डी० दरों' पर ही किया जाए एवं प्रति जेनरेटर डी०जी०एस० एण्ड डी० दरों में हुई वृद्धि लगभग 45.00 हजार की पूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा Budget re-appropriation के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

अतः पूर्व स्वीकृत रु० 3,10,525.00 (रुपये तीन लाख, दस हजार, पांच सौ पच्चीस मात्र) के अतिरिक्त लगभग रु० 45,000.00 (रुपये पैंतालीस हजार मात्र) प्रति जेनरेटर की डी०जी०एस० एण्ड डी० दरों पर क्रय करने हेतु व्यय किये जा सकते हैं। जेनरेटर क्रय प्रक्रिया 31-3-2013 तक अवश्य पूर्ण कर ली जाए तथा जेनरेटर्स, गैप एनालिसिस के आधार पर एवं कन्डमनेशन बोर्ड के प्रमाणपत्र के आधार पर ही क्रय किये जाएं।

जेनरेटर क्रय करने के पश्चात कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय


(डा० वी० के० सिन्हा) 29/3/13

महाप्रबंधक

आई०ई०सी० एवं प्रोक्योर०

पत्रांक-एस०पी०एम०यू०/एन.आर.एच.एम./जेनरेटर/2012-13

प्रतिलिपि-मिशन निदेशक महोदय, को सादर सूचनार्थ।

तददिनांक

(डा० वी० के० सिन्हा)

महाप्रबंधक

आई०ई०सी० एवं प्रोक्योर०